

**मध्य प्रदेश शासन**  
**आयुष विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**-आदेश-**

भोपाल, दिनांक 13/03/2024

कमांक/एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/716 :: राज्य शासन एतद्वारा म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वरिष्ठता अनुसार उम्मीदवारों को आयुष विभाग के अधीन यूनानी चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर (ग्रेड पे-5400) म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत पे-मेट्रिक्स में लेवल 12 एवं इंडेक्स कमांक 01 के अनुसार रूपये 56100/- में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई पदस्थापना स्थान पर पदस्थ करता है :-


स.क./ वरिष्ठता क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पदस्थापना स्थान
1	डॉ० शाहिदा बानो पत्नी मो० इल्यास, जमींदार मोहल्ला, वार्ड-7, ग्राम कुरवाई, जिला विदिशा, (म0प्र0) पिन कोड- 464224	शासकीय यूनानी औषधालय, कमांक-1 सागर, जिला-सागर

2/ उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- 1- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चों से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत संबंधित यूनानी चिकित्सा अधिकारी को कार्य पर उपस्थित करवाया जावेगा।
- 2- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के पूर्व कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 3- उपरोक्त यूनानी चिकित्सा अधिकारी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, जिन्हें निर्धारित अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने उपरांत स्थाईकरण संबंधी कार्यवाही की जावेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
- 4- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ सी 3-15/2012/1/3, भोपाल दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने अथवा स्थायी जाति प्रमाण पत्र अवैध पाये जाने की स्थिति में उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र अनिवार्य रूप से आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जाये।
- 5- म0प्र0 शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक की सेवाएँ किसी भी समय या तो शासकीय सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक को एक माह का लिखित सूचना पत्र देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 6- अथ्यर्थी यदि पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सेवा छोड़ने का प्रमाण पत्र तथा न जांच एवं मांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।
- 7- नवनियुक्त चयनित प्रत्याशियों की पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

- 8- इन अधिकारियों की वरिष्ठता म0प्र0 लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार ही रहेगी।
- 9- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- 10- सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
- 11- चयनित प्रत्याशियों का चयन/नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिकाओं क्रमशः 5901/2019, 2108/2022 एवं 24847/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- 12- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी नियम निर्देशानुसार रहेगी।
- 13- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना नियम-2005 लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(संजय कुमार मिश्र)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 13/03/2024

पृ.क्र. एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/717  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 13624/11/2023/चयन, दिनांक 26.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी आयुष विभाग, भोपाल।
- 5- निज सचिव, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 6- आयुक्त, आयुष संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7- संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग .....म0प्र0
- 8- जिला आयुष अधिकारी जिला ..... म0प्र0
- 9- आयुक्त संचालनालय जनसंपर्क, वाणगंगा, म0प्र0 भोपाल।
- 10- सर्वसंबंधित डॉ. .... आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर संबंधित जिला आयुष कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करें।
- 11- आदेश नस्ती

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
-आदेश-


भोपाल, दिनांक 13/03/2024

क्रमांक/एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/718 ::राज्य शासन एतद्वारा म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वरिष्ठता अनुसार उम्मीदवारों को आयुष विभाग के अधीन यूनानी चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर (ग्रेड पे-5400) म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत पे-मेट्रिक्स में लेवल 12 एवं इंडेक्स क्रमांक 01 के अनुसार रूपये 56100/- में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई पदस्थापना स्थान पर पदस्थ करता है :-

स.क्र. वरिष्ठता क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पदस्थापना स्थान
2	मुदस्सिर अहमद शेख पिता अफजाल अहमद शेख, म.नं. -307, नवाब साहब की मस्जिद के पास, चन्द्रकला, जिला बुरहानपुर पिन कोड-450331	शासकीय यूनानी औषधालय, झाबुआ जिला-झाबुआ

- 2/ उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-
- 1- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत संबंधित यूनानी चिकित्सा अधिकारी को कार्य पर उपस्थित कराया जावेगा।
  - 2- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के पूर्व कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
  - 3- उपरोक्त यूनानी चिकित्सा अधिकारी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, जिन्हें निर्धारित अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने उपरांत स्थाईकरण संबंधी कार्यवाही की जावेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
  - 4- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी 3-15/2012/1/3, भोपाल दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने अथवा स्थायी जाति प्रमाण पत्र अवैध पाये जाने की स्थिति में उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र अनिवार्य रूप से आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जाये।
  - 5- म0प्र0 शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक की सेवाएँ किसी भी समय या तो शासकीय सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक को एक माह का लिखित सूचना पत्र देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
  - 6- अभ्यर्थी यदि पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सेवा छोड़ने का प्रमाण पत्र तथा न जांच एवं मांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।
  - 7- नवनियुक्त चयनित प्रत्याशियों की पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


- 8- इन अधिकारियों की वरिष्ठता म0प्र0 लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार ही रहेगी।
- 9- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- 10- सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
- 11- चयनित प्रत्याशियों का चयन/नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिकाओं क्रमशः 5901/2019, 2108/2022 एवं 24847/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- 12- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी नियम निर्देशानुसार रहेगी।
- 13- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना नियम-2005 लागू होंगे।  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(संजय कुमार मिश्र)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 13/03/2024

पृ.क्र. एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/719  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 13624/11/2023/चयन, दिनांक 26.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी आयुष विभाग, भोपाल।
- 5- निज सचिव, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 6- आयुक्त, आयुष संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7- संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग ..... म0प्र0
- 8- जिला आयुष अधिकारी जिला ..... म0प्र0
- 9- आयुक्त संचालनालय जनसंपर्क, वाणगंगा, म0प्र0 भोपाल।
- 10- सर्वसंबंधित डॉ. .... आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर संबंधित जिला आयुष कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करें।
- 11- आदेश नस्ती  
की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

**मध्य प्रदेश शासन**  
**आयुष विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**-आदेश-**

भोपाल, दिनांक 13/03/2024

कमांक/एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/720::राज्य शासन एतद्वारा म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वरिष्ठता अनुसार उम्मीदवारों को आयुष विभाग के अधीन यूनानी चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर (ग्रेड पे-5400) म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत पे-मेट्रिक्स में लेवल 12 एवं इंडेक्स कमांक 01 के अनुसार रूपये 56100/- में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई पदस्थापना स्थान पर पदस्थ करता है :-

स.क. वरिष्ठता क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पदस्थापना स्थान
3	मोहम्मद आदिल अन्सारी पिता मंजूर हुसैन अन्सारी म.नं.-6 वार्ड -29, डॉ0 जाकिर हुसैन मार्ग पानदरी मस्जिद की गली, लोहार मण्डी रोड, जिला बुरहानपुर (म0प्र0) पिन कोड- 450331	शासकीय यूनानी औषधालय, रिंगनिया जिला-रतलाम

2/ उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-


- 1- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत संबंधित यूनानी चिकित्सा अधिकारी को कार्य पर उपस्थित कराया जावेगा।
- 2- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के पूर्व कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 3- उपरोक्त यूनानी चिकित्सा अधिकारी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, जिन्हें निर्धारित अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने उपरांत स्थाईकरण संबंधी कार्यवाही की जावेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
- 4- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ सी 3-15/2012/1/3, भोपाल दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने अथवा स्थायी जाति प्रमाण पत्र अवैध पाये जाने की स्थिति में उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र अनिवार्य रूप से आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जाये।
- 5- म0प्र0 शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार नियुक्ति किए गए शासकीय सेवक की सेवाएँ किसी भी समय या तो शासकीय सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक को एक माह का लिखित सूचना पत्र देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 6- अभ्यर्थी यदि पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सेवा छोड़ने का प्रमाण पत्र तथा न जांच एवं मांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

K

//2//

- 7- नवनियुक्त चयनित प्रत्याशियों की पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 8- इन अधिकारियों की वरिष्ठता म0प्र0 लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार ही रहेगी।
- 9- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- 10- सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
- 11- चयनित प्रत्याशियों का चयन/नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिकाओं क्रमशः 5901/2019, 2108/2022 एवं 24847/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- 12- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी नियम निर्देशानुसार रहेगी।
- 13- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना नियम-2005 लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(संजय कुमार मिश्र)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 13/03/2024

पृ.क. एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/721  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 13624/11/2023/चयन, दिनांक 26.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी आयुष विभाग, भोपाल।
- 5- निज सचिव, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 6- आयुक्त, आयुष संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7- संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग .....म0प्र0
- 8- जिला आयुष अधिकारी जिला ..... म0प्र0
- 9- आयुक्त संचालनालय जनसंपर्क, वाणगंगा, म0प्र0 भोपाल।
- 10- सर्वसंबंधित डॉ. .... आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर संबंधित जिला आयुष कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करें।
- 11- आदेश नस्ती

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

**मध्य प्रदेश शासन**  
**आयुष विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**-आदेश-**

भोपाल, दिनांक 13/03/2024


कमांक/एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/722 ::राज्य शासन एतदद्वारा म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वरिष्ठता अनुसार उम्मीदवारों को आयुष विभाग के अधीन यूनानी चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर (ग्रेड पे-5400) म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत पे-मेट्रिक्स में लेवल 12 एवं इंडेक्स कमांक 01 के अनुसार रूपये 56100/- में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई पदस्थापना स्थान पर पदस्थ करता है :-

स.क. वरिष्ठता क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पदस्थापना स्थान
4	मोहम्मद नईम खान पिता अब्दुल सलीम खान, 30 नेहरू कालोनी गरम गडडा रोड, रेल्वे स्टेशन, जिला भोपाल (म0प्र0)	शासकीय यूनानी औषधालय,सावरामोदी जिला-गुना

- 2/ उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-
- 1- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत संबंधित यूनानी चिकित्सा अधिकारी को कार्य पर उपस्थित कराया जावेगा।
  - 2- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के पूर्व कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
  - 3- उपरोक्त यूनानी चिकित्सा अधिकारी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, जिन्हें निर्धारित अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने उपरांत स्थाईकरण संबंधी कार्यवाही की जावेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
  - 4- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ सी 3-15/2012/1/3, भोपाल दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने अथवा स्थायी जाति प्रमाण पत्र अवैध पाये जाने की स्थिति में उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र अनिवार्य रूप से आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जाये।
  - 5- म0प्र0 शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक की सेवाएँ किसी भी समय या तो शासकीय सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक को एक माह का लिखित सूचना पत्र देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
  - 6- अथ्यर्थी यदि पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सेवा छोड़ने का प्रमाण पत्र तथा न जांच एवं मांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

3

- 7- नवनियुक्त चयनित प्रत्याशियों की पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 8- इन अधिकारियों की वरिष्ठता म0प्र0 लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार ही रहेगी।
- 9- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- 10- सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
- 11- चयनित प्रत्याशियों का चयन/नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिकाओं क्रमशः 5901/2019, 2108/2022 एवं 24847/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- 12- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी नियम निर्देशानुसार रहेगी।
- 13- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना नियम-2005 लागू होंगे।  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(संजय कुमार मिश्र)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 13/03/2024

पृ.क. एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/723  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 13624/11/2023/चयन, दिनांक 26.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी आयुष विभाग, भोपाल।
- 5- निज सचिव, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 6- आयुक्त, आयुष संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7- संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग ..... म0प्र0
- 8- जिला आयुष अधिकारी जिला ..... म0प्र0
- 9- आयुक्त संचालनालय जनसंपर्क, वाणगंगा, म0प्र0 भोपाल।
- 10- सर्वसंबंधित डॉ. .... आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर संबंधित जिला आयुष कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करें।
- 11- आदेश नस्ती  
की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग



**मध्य प्रदेश शासन**  
**आयुष विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**-आदेश-**


भोपाल, दिनांक 13/03/2024

कमांक/एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/724 ::राज्य शासन एतद्वारा म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वरिष्ठता अनुसार उम्मीदवारों को आयुष विभाग के अधीन यूनानी चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर (ग्रेड पे-5400) म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत पे-मेट्रिक्स में लेवल 12 एवं इंडेक्स क्रमांक 01 के अनुसार रूपये 56100/- में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई पदस्थापना स्थान पर पदस्थ करता है :-

स.क. वरिष्ठता क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पदस्थापना स्थान
5	मो0 जीशान खान पिता मो0 सालार खान, म. नं.-119, सईद कालोनी, मुल्ला मस्जिद के पास करोंद, जिला भोपाल (म0प्र0)	शासकीय यूनानी औषधालय,थनरा जिला-शिवपुरी

- 2/ उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-
- 1- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत संबंधित यूनानी चिकित्सा अधिकारी को कार्य पर उपस्थित कराया जावेगा।
  - 2- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के पूर्व कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
  - 3- उपरोक्त यूनानी चिकित्सा अधिकारी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, जिन्हें निर्धारित अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने उपरांत स्थाईकरण संबंधी कार्यवाही की जावेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
  - 4- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ सी 3-15/2012/1/3, भोपाल दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने अथवा स्थायी जाति प्रमाण पत्र अवैध पाये जाने की स्थिति में उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र अनिवार्य रूप से आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जाये।
  - 5- म0प्र0 शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक की सेवाएँ किसी भी समय या तो शासकीय सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक को एक माह का लिखित सूचना पत्र देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
  - 6- अथर्थी यदि पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सेवा छोड़ने का प्रमाण पत्र तथा न जांच एवं मांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

- 7- नवनियुक्त चयनित प्रत्याशियों की पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 8- इन अधिकारियों की वरिष्ठता म0प्र0 लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार ही रहेगी।
- 9- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- 10- सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
- 11- चयनित प्रत्याशियों का चयन/नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिकाओं क्रमशः 5901/2019, 2108/2022 एवं 24847/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- 12- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी नियम निर्देशानुसार रहेगी।
- 13- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना नियम-2005 लागू होंगे।  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(संजय कुमार मिश्र)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 13/03/2024

पृ.क. एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/725  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 13624/11/2023/चयन, दिनांक 26.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी आयुष विभाग, भोपाल।
- 5- निज सचिव, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 6- आयुक्त, आयुष संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7- संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग .....म0प्र0
- 8- जिला आयुष अधिकारी जिला ..... म0प्र0
- 9- आयुक्त संचालनालय जनसंपर्क, वाणगंगा, म0प्र0 भोपाल।
- 10- सर्वसंबंधित डॉ. .... आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर संबंधित जिला आयुष कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करें।
- 11- आदेश नस्ती  
की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

**मध्य प्रदेश शासन**  
**आयुष विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**-आदेश-**

भोपाल, दिनांक 13/03/2024

क्रमांक/एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/726 :राज्य शासन एतद्वारा म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वरिष्ठता अनुसार उम्मीदवारों को आयुष विभाग के अधीन यूनानी चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर (ग्रेड पे-5400) म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत पे-मेट्रिक्स में लेवल 12 एवं इंडेक्स क्रमांक 01 के अनुसार रुपये 56100/- में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई पदस्थापना स्थान पर पदस्थ करता है :-

स.क्र. वरिष्ठता क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पदस्थापना स्थान
6	मोहम्मद अमीन अंसारी पिता शौकत शोआर अहमद अंसारी, म.नं.-24/1, वार्ड नं.-39, स्टेट बैंक के पीछे, शनवारा, जिला बुरहानपुर, (म0प्र0) पिन कोड- 450331	शासकीय यूनानी औषधालय,बरही जिला-आगर मालवा


2/ उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- 1- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत संबंधित यूनानी चिकित्सा अधिकारी को कार्य पर उपस्थित कराया जावेगा।
- 2- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के पूर्व कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 3- उपरोक्त यूनानी चिकित्सा अधिकारी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, जिन्हें निर्धारित अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने उपरांत स्थाईकरण संबंधी कार्यवाही की जावेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
- 4- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी 3-15/2012/1/3, भोपाल दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने अथवा स्थायी जाति प्रमाण पत्र अवैध पाये जाने की स्थिति में उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र अनिवार्य रूप से आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जाये।
- 5- म0प्र0 शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक की सेवाएँ किसी भी समय या तो शासकीय सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक को एक माह का लिखित सूचना पत्र देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 6- अभ्यर्थी यदि पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सेवा छोड़ने का प्रमाण पत्र तथा न जांच एवं मांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

1

- 7- नवनियुक्त चयनित प्रत्याशियों की पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 8- इन अधिकारियों की वरिष्ठता म0प्र0 लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार ही रहेगी।
- 9- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- 10- सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
- 11- चयनित प्रत्याशियों का चयन/नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिकाओं क्रमशः 5901/2019, 2108/2022 एवं 24847/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- 12- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी नियम निर्देशानुसार रहेगी।
- 13- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना नियम-2005 लागू होंगे।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(संजय कुमार मिश्र)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 13/03/2024

पृ.क. एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/727  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 13624/11/2023/चयन, दिनांक 26.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी आयुष विभाग, भोपाल।
- 5- निज सचिव, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 6- आयुक्त, आयुष संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7- संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग ..... म0प्र0
- 8- जिला आयुष अधिकारी जिला ..... म0प्र0
- 9- आयुक्त संचालनालय जनसंपर्क, वाणगंगा, म0प्र0 भोपाल।
- 10- सर्वसंबंधित डॉ. .... आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर संबंधित जिला आयुष कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करें।
- 11- आदेश नस्ती  
की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

**मध्य प्रदेश शासन**  
**आयुष विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**-आदेश-**

भोपाल, दिनांक 13/03/2024


कमांक/एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/728 :: राज्य शासन एतद्वारा म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वरिष्ठता अनुसार उम्मीदवारों को आयुष विभाग के अधीन यूनानी चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर (ग्रेड पे-5400) म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत पे-मेट्रिक्स में लेवल 12 एवं इंडेक्स कमांक 01 के अनुसार रूपये 56100/- में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई पदस्थापना स्थान पर पदस्थ करता है :-

स.क. वरिष्ठता क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पदस्थापना स्थान
7	शहजाद अनवर अन्सारी पिता मोहम्मद हारून अन्सारी, म.नं.-68/3, वार्ड नं.-09, नया मोहल्ला, शाह बाजार, जिला बुरहानपुर, (म0प्र0) पिन कोड- 450331	शासकीय यूनानी औषधालय, गौहलपुर जिला-जबलपुर

- 2/ उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-
- 1- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत संबंधित यूनानी चिकित्सा अधिकारी को कार्य पर उपस्थित कराया जावेगा।
  - 2- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के पूर्व कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
  - 3- उपरोक्त यूनानी चिकित्सा अधिकारी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, जिन्हें निर्धारित अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने उपरांत स्थाईकरण संबंधी कार्यवाही की जावेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
  - 4- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ सी 3-15/2012/1/3, भोपाल दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने अथवा स्थायी जाति प्रमाण पत्र अवैध पाये जाने की स्थिति में उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र अनिवार्य रूप से आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जाये।
  - 5- म0प्र0 शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक की सेवाएँ किसी भी समय या तो शासकीय सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक को एक माह का लिखित सूचना पत्र देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
  - 6- अथर्थी यदि पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सेवा छोड़ने का प्रमाण पत्र तथा न जांच एवं मांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

//2//

- 7- नवनियुक्त चयनित प्रत्याशियों की पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 8- इन अधिकारियों की वरिष्ठता म0प्र0 लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार ही रहेगी।
- 9- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- 10- सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेगे।
- 11- चयनित प्रत्याशियों का चयन/नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिकाओं क्रमशः 5901/2019, 2108/2022 एवं 24847/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- 12- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी नियम निर्देशानुसार रहेगी।
- 13- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना नियम-2005 लागू होंगे।  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(संजय कुमार मिश्र)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 13/03/2024

पृ.क. एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/729  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 13624/11/2023/चयन, दिनांक 26.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी आयुष विभाग, भोपाल।
- 5- निज सचिव, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 6- आयुक्त, आयुष संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7- संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग .....म0प्र0
- 8- जिला आयुष अधिकारी जिला ..... म0प्र0
- 9- आयुक्त संचालनालय जनसंपर्क, वाणगंगा, म0प्र0 भोपाल।
- 10- सर्वसंबंधित डॉ. .... आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर संबंधित जिला आयुष कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करें।
- 11- आदेश नस्ती  
की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

**मध्य प्रदेश शासन**  
**आयुष विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**—आदेश—**


भोपाल, दिनांक 13/03/2024

क्रमांक/एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/730 :: राज्य शासन एतद्वारा म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वरिष्ठता अनुसार उम्मीदवारों को आयुष विभाग के अधीन यूनानी चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर (ग्रेड पे-5400) म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत पे-मेट्रिक्स में लेवल 12 एवं इंडेक्स क्रमांक 01 के अनुसार रूपये 56100/- में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई पदस्थापना स्थान पर पदस्थ करता है :-

स.क्र. वरिष्ठता क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पदस्थापना स्थान
8	सैय्यद जुबेर अली पिता सैय्यद जावेद अली, म.नं.-82/2, वार्ड नं.-11, गटोईपुर, बेगमगंज, जिला रायसेन (म0प्र0) पिन कोड-464881	शासकीय यूनानी औषधालय, चोरहटा जिला-सतना

- 2/ उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-
- 1- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत संबंधित यूनानी चिकित्सा अधिकारी को कार्य पर उपस्थित कराया जावेगा।
  - 2- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के पूर्व कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
  - 3- उपरोक्त यूनानी चिकित्सा अधिकारी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, जिन्हें निर्धारित अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने उपरांत स्थाईकरण संबंधी कार्यवाही की जावेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
  - 4- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी 3-15/2012/1/3, भोपाल दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने अथवा स्थायी जाति प्रमाण पत्र अवैध पाये जाने की स्थिति में उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र अनिवार्य रूप से आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जाये।
  - 5- म0प्र0 शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक की सेवाएँ किसी भी समय या तो शासकीय सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक को एक माह का लिखित सूचना पत्र देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
  - 6- अभ्यर्थी यदि पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सेवा छोड़ने का प्रमाण पत्र तथा न जांच एवं मांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

- 7- नवनियुक्त चयनित प्रत्याशियों की पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 8- इन अधिकारियों की वरिष्ठता म0प्र0 लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार ही रहेगी।
- 9- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- 10- सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
- 11- चयनित प्रत्याशियों का चयन/नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिकाओं क्रमशः 5901/2019, 2108/2022 एवं 24847/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- 12- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी नियम निर्देशानुसार रहेगी।
- 13- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना नियम-2005 लागू होंगे।  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(संजय कुमार मिश्र)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 13/03/2024

पृ.क. एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/731  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क. 13624/11/2023/चयन, दिनांक 26.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी आयुष विभाग, भोपाल।
- 5- निज सचिव, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 6- आयुक्त, आयुष संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7- संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग ..... म0प्र0
- 8- जिला आयुष अधिकारी जिला ..... म0प्र0
- 9- आयुक्त संचालनालय जनसंपर्क, वाणगंगा, म0प्र0 भोपाल।
- 10- सर्वसंबंधित डॉ. .... आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर संबंधित जिला आयुष कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करें।
- 11- आदेश नस्ती  
की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग



**मध्य प्रदेश शासन**  
**आयुष विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**-आदेश-**

भोपाल, दिनांक 13/03/2024

कमांक/एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/732 :: राज्य शासन एतद्वारा म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वरिष्ठता अनुसार उम्मीदवारों को आयुष विभाग के अधीन यूनानी चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर (ग्रेड पे-5400) म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत पे-मेट्रिक्स में लेवल 12 एवं इंडेक्स कमांक 01 के अनुसार रूपये 56100/- में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई पदस्थापना स्थान पर पदस्थ करता है :-


स.क. वरिष्ठता क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पदस्थापना स्थान
9	डॉ. सबा हसन (हसन विवाह उपरांत) (हुसैन विवाह पूर्व) पत्नी सैयद जहूर हसन, म.नं. -21, तिजारा लेन, जिंसी, जहाँगीराबाद, जिला भोपाल, (म0प्र0) पिन कोड-462008	शासकीय यूनानी औषधालय, कुरवाई जिला-विदिशा

2/ उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- 1- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत संबंधित यूनानी चिकित्सा अधिकारी को कार्य पर उपस्थित कराया जावेगा।
- 2- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के पूर्व कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 3- उपरोक्त यूनानी चिकित्सा अधिकारी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, जिन्हें निर्धारित अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने उपरांत स्थाईकरण संबंधी कार्यवाही की जावेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
- 4- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ सी 3-15/2012/1/3, भोपाल दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने अथवा स्थायी जाति प्रमाण पत्र अवैध पाये जाने की स्थिति में उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र अनिवार्य रूप से आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जाये।
- 5- म0प्र0 शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक की सेवाएँ किसी भी समय या तो शासकीय सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक को एक माह का लिखित सूचना पत्र देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 6- अभ्यर्थी यदि पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सेवा छोड़ने का प्रमाण पत्र तथा न जांच एवं मांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

*Handwritten signature*


- 7- नवनियुक्त चयनित प्रत्याशियों की पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 8- इन अधिकारियों की वरिष्ठता म0प्र0 लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार ही रहेगी।
- 9- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- 10- सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
- 11- चयनित प्रत्याशियों का चयन/नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिकाओं क्रमशः 5901/2019, 2108/2022 एवं 24847/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- 12- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी नियम निर्देशानुसार रहेगी।
- 13- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना नियम-2005 लागू होंगे।  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(संजय कुमार मिश्र)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 13/03/2024

पृ.क. एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/733  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 13624/11/2023/चयन, दिनांक 26.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी आयुष विभाग, भोपाल।
- 5- निज सचिव, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 6- आयुक्त, आयुष संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7- संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग ..... म0प्र0
- 8- जिला आयुष अधिकारी जिला ..... म0प्र0
- 9- आयुक्त संचालनालय जनसंपर्क, वाणगंगा, म0प्र0 भोपाल।
- 10- सर्वसंबंधित डॉ. .... आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर संबंधित जिला आयुष कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करें।
- 11- आदेश नस्ती  
की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

**मध्य प्रदेश शासन**  
**आयुष विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**-आदेश-**

भोपाल, दिनांक 13/03/2024

कमांक/एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/734 :: राज्य शासन एतद्वारा म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वरिष्ठता अनुसार उम्मीदवारों को आयुष विभाग के अधीन यूनानी चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर (ग्रेड पे-5400) म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत पे-मेट्रिक्स में लेवल 12 एवं इंडेक्स कमांक 01 के अनुसार रूपये 56100/- में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई पदस्थापना स्थान पर पदस्थ करता है :-

स.क. वरिष्ठता क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पदस्थापना स्थान
10	मोहम्मद आमिर निजामी पिता मोहम्मद रियाजुददीन, नजीराबाद, पेट्रोल पंप के पास, जिला सतना (म0प्र0) पिन कोड-485001	शासकीय यूनानी औषधालय, द्वारी जिला-पन्ना

2/ उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- 1- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत संबंधित यूनानी चिकित्सा अधिकारी को कार्य पर उपस्थित कराया जावेगा।
- 2- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के पूर्व कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 3- उपरोक्त यूनानी चिकित्सा अधिकारी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, जिन्हें निर्धारित अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने उपरांत स्थाईकरण संबंधी कार्यवाही की जावेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
- 4- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ सी 3-15/2012/1/3, भोपाल दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने अथवा स्थायी जाति प्रमाण पत्र अवैध पाये जाने की स्थिति में उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र अनिवार्य रूप से आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जाये।
- 5- म0प्र0 शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक की सेवाएँ किसी भी समय या तो शासकीय सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक को एक माह का लिखित सूचना पत्र देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 6- अथ्यर्थी यदि पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सेवा छोड़ने का प्रमाण पत्र तथा न जांच एवं मांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

*AS*

//2//

- 7- नवनियुक्त चयनित प्रत्याशियों की पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 8- इन अधिकारियों की वरिष्ठता म0प्र0 लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार ही रहेगी।
- 9- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- 10- सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
- 11- चयनित प्रत्याशियों का चयन/नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिकाओं क्रमशः 5901/2019, 2108/2022 एवं 24847/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- 12- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी नियम निर्देशानुसार रहेगी।
- 13- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना नियम-2005 लागू होंगे।  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार मिश्रा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 13/03/2024

पृ.क. एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/735  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क. 13624/11/2023/चयन, दिनांक 26.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी आयुष विभाग, भोपाल।
- 5- निज सचिव, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 6- आयुक्त, आयुष संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7- संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग .....म0प्र0
- 8- जिला आयुष अधिकारी जिला ..... म0प्र0
- 9- आयुक्त संचालनालय जनसंपर्क, वाणगंगा, म0प्र0 भोपाल।
- 10- सर्वसंबंधित डॉ. .... आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर संबंधित जिला आयुष कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करें।
- 11- आदेश नस्ती  
की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

**मध्य प्रदेश शासन**  
**आयुष विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**-आदेश-**

भोपाल, दिनांक 13/03/2024


कमांक/एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/736 :: राज्य शासन एतद्वारा म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वरिष्ठता अनुसार उम्मीदवारों को आयुष विभाग के अधीन यूनानी चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर (ग्रेड पे-5400) म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत पे-मेट्रिक्स में लेवल 12 एवं इंडेक्स कमांक 01 के अनुसार रूपये 56100/- में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई पदस्थापना स्थान पर पदस्थ करता है :-

स.क. वरिष्ठता क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पदस्थापना स्थान
11	शबनम परवीन पिता निसार अहमद, म.नं. -1822, नूरानी मस्जिद के पास, ठक्कर ग्राम जबलपुर, (म0प्र0)	शासकीय यूनानी औषधालय, मण्डला जिला-मण्डला

- 2/ उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-
- 1- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत संबंधित यूनानी चिकित्सा अधिकारी को कार्य पर उपस्थित कराया जावेगा।
  - 2- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के पूर्व कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
  - 3- उपरोक्त यूनानी चिकित्सा अधिकारी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, जिन्हें निर्धारित अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने उपरांत स्थाईकरण संबंधी कार्यवाही की जावेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
  - 4- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ सी 3-15/2012/1/3, भोपाल दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने अथवा स्थायी जाति प्रमाण पत्र अवैध पाये जाने की स्थिति में उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र अनिवार्य रूप से आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जाये।
  - 5- म0प्र0 शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक की सेवाएँ किसी भी समय या तो शासकीय सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक को एक माह का लिखित सूचना पत्र देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
  - 6- अभ्यर्थी यदि पूर्व में शासकीय; अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सेवा छोड़ने का प्रमाण पत्र तथा न जांच एवं मांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।



- 7- नवनियुक्त चयनित प्रत्याशियों की पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 8- इन अधिकारियों की वरिष्ठता म0प्र0 लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार ही रहेगी।
- 9- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- 10- सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
- 11- चयनित प्रत्याशियों का चयन/नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिकाओं क्रमशः 5901/2019, 2108/2022 एवं 24847/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- 12- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी नियम निर्देशानुसार रहेगी।
- 13- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना नियम-2005 लागू होंगे।  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(संजय कुमार मिश्र)

उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 13/03/2024

पृ.क. एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/737  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 13624/11/2023/चयन, दिनांक 26.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी आयुष विभाग, भोपाल।
- 5- निज सचिव, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 6- आयुक्त, आयुष संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7- संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग ..... म0प्र0
- 8- जिला आयुष अधिकारी जिला ..... म0प्र0
- 9- आयुक्त संचालनालय जनसंपर्क, वाणगंगा, म0प्र0 भोपाल।
- 10- सर्वसंबंधित डॉ. .... आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर संबंधित जिला आयुष कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करें।
- 11- आदेश नस्ती

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

**मध्य प्रदेश शासन**  
**आयुष विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**—आदेश—**

भोपाल, दिनांक 13/03/2024

कमांक/एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/738 :: राज्य शासन एतद्वारा म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वरिष्ठता अनुसार उम्मीदवारों को आयुष विभाग के अधीन यूनानी चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर (ग्रेड पे-5400) म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत पे-मेट्रिक्स में लेवल 12 एवं इंडेक्स कमांक 01 के अनुसार रूपये 56100/- में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई पदस्थापना स्थान पर पदस्थ करता है :-


स.क. वरिष्ठता क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पदस्थापना स्थान
12	अबरार मोहम्मद खान पिता मुनीर मोहम्मद खान, म.नं.-02, बाग फरहत अफजा, बड़ी मस्जिद के पास, जिला भोपाल (म0प्र0) पिन कोड-462023	शासकीय यूनानी औषधालय, कनापुर जिला-शयोपुर

- 2/ उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-
- 1- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत संबंधित यूनानी चिकित्सा अधिकारी को कार्य पर उपस्थित कराया जावेगा।
  - 2- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के पूर्व कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
  - 3- उपरोक्त यूनानी चिकित्सा अधिकारी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, जिन्हें निर्धारित अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने उपरांत स्थाईकरण संबंधी कार्यवाही की जावेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
  - 4- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ सी 3-15/2012/1/3, भोपाल दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने अथवा स्थायी जाति प्रमाण पत्र अवैध पाये जाने की स्थिति में उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र अनिवार्य रूप से आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जाये।
  - 5- म0प्र0 शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक की सेवाएँ किसी भी समय या तो शासकीय सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक को एक माह का लिखित सूचना पत्र देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
  - 6- अभ्यर्थी यदि पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सेवा छोड़ने का प्रमाण पत्र तथा न जांच एवं मांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।



//2//

- 7- नवनियुक्त चयनित प्रत्याशियों की पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 8- इन अधिकारियों की वरिष्ठता म0प्र0 लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार ही रहेगी।
- 9- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- 10- सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
- 11- चयनित प्रत्याशियों का चयन/नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिकाओं कमशः 5901/2019, 2108/2022 एवं 24847/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- 12- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम,1961 एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी नियम निर्देशानुसार रहेगी।
- 13- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना नियम-2005 लागू होंगे।  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(संजय कुमार मिश्र)


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 13/03/2024

पृ.क. एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/739  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क. 13624/11/2023/चयन, दिनांक 26.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी आयुष विभाग, भोपाल।
- 5- निज सचिव, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 6- आयुक्त, आयुष संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7- संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग .....म0प्र0
- 8- जिला आयुष अधिकारी जिला ..... म0प्र0
- 9- आयुक्त संचालनालय जनसंपर्क, वाणगंगा, म0प्र0 भोपाल।
- 10- सर्वसंबंधित डॉ. .... आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर संबंधित जिला आयुष कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करें।
- 11- आदेश नस्ती

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग



**मध्य प्रदेश शासन**  
**आयुष विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**—आदेश—**

भोपाल, दिनांक 13/03/2024

क्रमांक/एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/740 :: राज्य शासन एतद्वारा म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वरिष्ठता अनुसार उम्मीदवारों को आयुष विभाग के अधीन यूनानी चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर (ग्रेड पे-5400) म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत पे-मेट्रिक्स में लेवल 12 एवं इंडेक्स क्रमांक 01 के अनुसार रूपये 56100/- में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई पदस्थापना स्थान पर पदस्थ करता है :-

स.क. वरिष्ठता क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पदस्थापना स्थान
13	भावना पाटील पिता स्वर्गीय ज्ञानेश पाटील, म.नं.-501, वार्ड नं.-8, स्कूल के पास, दापोरा, थाना-शाहपुर, जिला बुरहानपुर (म0प्र0) पिन कोड-450445	शासकीय यूनानी औषधालय, कोटडा जिला-देवास

- 2/ उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-
- 1- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत संबंधित यूनानी चिकित्सा अधिकारी को कार्य पर उपस्थित कराया जावेगा।
  - 2- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के पूर्व कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
  - 3- उपरोक्त यूनानी चिकित्सा अधिकारी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, जिन्हें निर्धारित अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने उपरांत स्थाईकरण संबंधी कार्यवाही की जावेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
  - 4- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी 3-15/2012/1/3, भोपाल दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने अथवा स्थायी जाति प्रमाण पत्र अवैध पाये जाने की स्थिति में उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र अनिवार्य रूप से आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जाये।
  - 5- म0प्र0 शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक की सेवाएँ किसी भी समय या तो शासकीय सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक को एक माह का लिखित सूचना पत्र देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
  - 6- अथ्यर्थी यदि पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सेवा छोड़ने का प्रमाण पत्र तथा न जांच एवं मांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।


- 7- नवनियुक्त चयनित प्रत्याशियों की पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 8- इन अधिकारियों की वरिष्ठता म0प्र0 लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार ही रहेगी।
- 9- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- 10- सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
- 11- चयनित प्रत्याशियों का चयन/नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिकाओं क्रमशः 5901/2019, 2108/2022 एवं 24847/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- 12- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी नियम निर्देशानुसार रहेगी।
- 13- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना नियम-2005 लागू होंगे।  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार मिश्र)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 13/03/2024

पृ.क. एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/741  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 13624/11/2023/चयन, दिनांक 26.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी आयुष विभाग, भोपाल।
- 5- निज सचिव, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 6- आयुक्त, आयुष संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7- संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग ..... म0प्र0
- 8- जिला आयुष अधिकारी जिला ..... म0प्र0
- 9- आयुक्त संचालनालय जनसंपर्क, वाणगंगा, म0प्र0 भोपाल।
- 10- सर्वसंबंधित डॉ. .... आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर संबंधित जिला आयुष कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करें।
- 11- आदेश नस्ती  
की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
-आदेश-

भोपाल, दिनांक 13/03/2024


क्रमांक/एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/742 :: राज्य शासन एतद्वारा म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वरिष्ठता अनुसार उम्मीदवारों को आयुष विभाग के अधीन यूनानी चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर (ग्रेड पे-5400) म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत पे-मेट्रिक्स में लेवल 12 एवं इंडेक्स क्रमांक 01 के अनुसार रूपये 56100/- में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई पदस्थापना स्थान पर पदस्थ करता है :-

स.क्र. वरिष्ठता क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पदस्थापना स्थान
14	प्राची वीरपरा पिता कैलाश वीरपरा, 19/3, शान्तिपुरा, जिला देवास (म0प्र0) पिन कोड-455001	शासकीय यूनानी औषधालय, नरसिंहगढ़ जिला-राजगढ़

- 2/ उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-
- 1- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत संबंधित यूनानी चिकित्सा अधिकारी को कार्य पर उपस्थित कराया जावेगा।
- 2- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के पूर्व कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 3- उपरोक्त यूनानी चिकित्सा अधिकारी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, जिन्हें निर्धारित अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने उपरांत स्थाईकरण संबंधी कार्यवाही की जावेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की सेवा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
- 4- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी 3-15/2012/1/3, भोपाल दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने अथवा स्थायी जाति प्रमाण पत्र अवैध पाये जाने की स्थिति में उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र अनिवार्य रूप से आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जाये।
- 5- म0प्र0 शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक की सेवाएँ किसी भी समय या तो शासकीय सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक को एक माह का लिखित सूचना पत्र देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 6- अभ्यर्थी यदि पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सेवा छोड़ने का प्रमाण पत्र तथा न जांच एवं मांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

//2//

- 7- नवनियुक्त चयनित प्रत्याशियों की पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 8- इन अधिकारियों की वरिष्ठता म0प्र0 लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार ही रहेगी।
- 9- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- 10- सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
- 11- चयनित प्रत्याशियों का चयन/नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिकाओं क्रमशः 5901/2019, 2108/2022 एवं 24847/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- 12- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म0प्र0 सिविल सेवा. (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी नियम निर्देशानुसार रहेगी।
- 13- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना नियम-2005 लागू होंगे।  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(संजय कुमार मिश्र)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 13/03/2024

पृ.क्र. एफ 1/1/1/0003/2023/1/59/743  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 13624/11/2023/चयन, दिनांक 26.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म0प्र0 खालियर।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी आयुष विभाग, भोपाल।
- 5- निज सचिव, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 6- आयुक्त, आयुष संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7- संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग .....म0प्र0
- 8- जिला आयुष अधिकारी जिला ..... म0प्र0
- 9- आयुक्त संचालनालय जनसंपर्क, वाणगंगा, म0प्र0 भोपाल।
- 10- सर्वसंबंधित डॉ. .... आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर संबंधित जिला आयुष कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करें।
- 11- आदेश नस्ती  
की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग